

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1102/2014/उदयपुर.

मैसर्स महावीर इलेक्ट्रिकल्स,  
58, कोलीवाड़ा, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड-पंचम, वृत्त-ए, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी.पी.बाल्दी व श्री सुनील अग्रवाल,  
अभिभाषकगण

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,  
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/09/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 73/वैट/2013-1/उदयपुर आदेश दिनांक 26.02.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-पंचम वृत्त-ए, उदयपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 75(8) के अन्तर्गत पारित किय गये आदेश दिनांक 05.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील को अस्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित कर रुपये 29,592/- व शास्ति रुपये 79,668/- की पुष्टि की गई है, जिसे इसे अपील में विवादित किया गया है।


2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.05.2013 को अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में भौतिक सत्यापन पर पाये गये स्टॉक व व्यवहारी के लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रदर्शित स्टॉक में रुपये 2,84,530/- का स्टॉक अधिक होना मान्य के आधार पर कर रुपये 29,592/- व शास्ति रुपये 79,668/- आरोपित की गई।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने लिखित में अपने पक्ष में उत्तर तर्क व न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि अपीलार्थी वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवसायी है तथा अपीलार्थी का मुख्य व्यवसाय इलेक्ट्रिकल्स सामान जैसे वायर केबल्स, पाइप्स,



लगातार.....2

स्विचेज, पी.वी.सी. सामान, पंखे इत्यादि के क्रय-विक्रय का व्यवसाय है। दिनांक 10.05.2013 को वाणिज्यिक कर विभाग के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वे किया गया। मुख्य व्यवसाय स्थल के अतिरिक्त तीन गोदामों का भी निरीक्षण किया गया तथा सभी स्थानों पर रखे गए माल का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन तैयार किया गया। तत्पश्चात् लेखाकार के उपलब्ध न होने के कारण लेखा पुस्तकों के अभाव में सर्वे अधिकारी ने नोटिस जारी कर अपीलार्थी व्यवसायी को लेखा पुस्तकें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। दिनांक 23.05.2013 को अपीलार्थी व्यवसायी के मैनेजर हीरालाल जैन ने उपस्थित होकर दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 तक का ट्रेडिंग अकाउंट, दिनांक 01.04.2013 से 10.05.2013 तक का अस्थायी/अनुमानित (Provisional) ट्रेडिंग अकाउंट, दिनांक 01.04.2013 से 10.05.2013 तक की खरीद बिक्री के खाते प्रस्तुत किये तथा खरीद एवं बिक्री के बिलों को वास्ते अवलोकन प्रस्तुत किया गया। सर्वे अधिकारी ने दिनांक 23.05.2013 को प्रचलित बाजार दर से दिनांक 10.05.2013 को तैयार किए गए भौतिक सत्यापन की मूल्यांकन गणना हीरालाल जैन की उपस्थिति में की। माल के मूल्यांकन की गणना और अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी/अनुमानित ट्रेडिंग अकाउंट के अन्तिम स्टॉक (Closing Stock) की गणना में अन्तर पर उक्त प्रकरण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-पंचम, वृत्त-ए, उदयपुर को वास्ते कर निर्धारण आदेश हेतु हस्तान्तरित किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गये नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से दिनांक 05.06.2013 को लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने लिखित जवाब को स्वीकार न कर सर्वे अधिकारी द्वारा की गई जाँच के आधार पर बिना किसी जाँच और प्रमाण के व्यवसायी को वेट अधिनियम की धारा 75 सपठित 25 के अन्तर्गत रूपये 1,09,260/- की माँग का कर निर्धारण आदेश मय कर एवं शास्ति पारित किया गया। वेट अधिनियम की धारा 75 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त दस्तावेजों की एक-एक प्रतिलिपि सर्वे अधिकारी द्वारा स्वयं ही उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी। सर्वे अधिकारी ने दिनांक 10.05.2013 को तैयार की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, श्री हीरालाल जैन के बयान तथा दिनांक 23.05.2013 को तैयार किए गए माल मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति अपीलार्थी व्यवसायी को उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः दिनांक 08.07.2013 को अपीलार्थी व्यवसायी के निवेदन पर उक्त सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि व्यवसायी को दिनांक 12.07.2013 को उपलब्ध कराई गई। दिनांक 05.06.2013 को पारित कर



लगातार.....3

निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में निवेदन किया था कि सर्वे अधिकारी द्वारा सर्वे जाँच के दौरान राजस्थान वेट नियम के नियम 51 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। उक्त आधार के समर्थन में स्वतंत्र गवाह लोकेश चन्द्र कनोजिया द्वारा दिया गया शपथ पत्र अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किन्तु अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) ने बिना किसी जांच या प्रमाण के यह मानते हुए की यह बाद विचार (after thought) है। इसलिए स्वीकार योग्य नहीं है।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपने उत्तर के समर्थन में भौतिक सत्यापन की गणना बाजार दर पर करने के संबंध में दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किये गये, जिनमें यह तथ्य साबित होता है कि माल का भौतिक सत्यापन खरीद कीमत पर नहीं किया गया है वरन् बाजार कीमत पर किया गया है। प्रत्येक संव्यवहार की खतौनी क्रय लागत पर की जाती है न की विक्रय मूल्य पर। सकल लाभ की राशि में कमी या वृद्धि भी स्टॉक की गणना को प्रभावित करता है। लघु एवं मध्यम स्तर के व्यवसायी द्वारा स्टॉक की गणना वर्ष के अन्त में ही की जाती है। लघु एवं मध्यम स्तर का कोई भी व्यवसायी हर माल का ट्रेडिंग अकाउंट तैयार नहीं करता है।

5. लिखित उत्तर में अपने तर्क के संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

- A. CTO v/s Readymade Centre (1994) 93 STC 314 (RHC)
- B. CTO, AE-I, Kota v/s Leela Ram Govind Ram, Kota (2007) 18 Tax Update 240 (RHC)
- C. M/s Diamond Marketing Agency, Jaipur v/s ACTO, AE-I, Circle-II, Jaipur (2007) 19 Tax Update 256 (RHC)
- D. ACTO, AE, Alwar v/s M/s Rajasthan Timber Works, Alwar (2013) 35 Tax Update 277 (RTB)
- E. CTO, Special Circle-VII, Jaipur v/s Lantern (Payotech Lighting and Switch Gear) Pvt. Ltd., Jaipur [2012] 34 TUD 269 (RTB)
- F. ACTO, AE-I, Jodhpur v/s Daga Kundanmal Ummedmal, Jodhpur (2006) 16 TUD 290 (RTB)
- G. AC, AE-II, Jaipur v/s S.K.Patakhewala Pvt. Ltd. (2004) 8 TUD 60 (RTB)
- H. ACTO, AE-I, Ajmer v/s Badri Lal Dwarka Prasad, Nasirabad, Ajmer (2004) TUD 275 (RTB)
- I. AC, Circle-A, Jodhpur v/s Nahata Trading Company, Mandor Mandi, Jodhpur (2004) 8 TUD 324 (RTB)

लगातार.....4

- J. AC, Special Circle, Alwar v/s Ashiana Ispat Ltd., Bhiwadi, Alwar (2003)6 TUD 77 (RTB)
- K. Ideal Oil & Chemical Mill Ltd., Jaipur v/s AC, Special Circle-III, Jaipur (2005) 12 TUD 71 (RTB)
- L. M/s Sandeep Traders, Banswara v/s AC, Circle, Banswara (2011) 30 TUD 358

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने व अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया गया व अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।


7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

8. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के संबंध में वेट अधिनियम की धारा 75(6)(7)(8) का अध्ययन आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है :-

**75. Power of entry, inspection and seizure of accounts and goods. -**

(6) The assessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner under sub-section (4) may seize any goods liable to tax, which are found in the possession of a dealer or in the possession of anybody else on behalf of such dealer and which are not accounted for in his accounts, registers or documents maintained in the course of his business; and a list of goods so seized shall be prepared by such authority or officer and a copy thereof shall be given to the dealer or any other person from whose custody such goods are seized.

(7) Where it is not feasible to seize the accounts, registers or documents under sub-section (4) or the goods under sub-section (6), the assessing authority or the officer concerned may serve on the owner or the person who is in immediate possession or control thereof an order that he shall not remove, part with or otherwise deal with them except with the previous permission of such authority or officer, which may, after serving such order, take such steps as may be deemed necessary under the circumstances.




लगातार.....5

(8) The assessing authority or the officer referred to in sub-section (6) may, after having given the dealer an opportunity of being heard and after having held such further enquiry as it may consider fit, impose on him, for the possession of goods not accounted for, whether seized or not under sub-section (6), a penalty equal to the amount of five times of the tax leviable on such goods or thirty percent of the value of such goods, whichever is less, and such authority or officer may release the goods, if seized, on payment of the penalty imposed or on furnishing such security for the payment thereof as it may consider necessary.

9. हस्तगत प्रकरण में सर्वेक्षण एवं जांच की कार्यवाही सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट-चतुर्थ, वृत्त-ए, उदयपुर द्वारा की गई है। कथित करापवंचन वाद का निस्तारण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-पंचम, वृत्त-ए, उदयपुर द्वारा किया गया है। जांच अधिकारी ने सर्वेक्षण के पश्चात अपने हाथ से भरे गये आदेश पत्र दिनांक 23.05.2013 में भौतिक सत्यापन सूची दिनांक 10.05.2013 को 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल का स्टॉक रूपये 1,87,786/- अंकित किया गया है तथा 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल रूपये 20,03,081/- का अंकित किया गया है। फर्म की लेखा पुस्तकों के अनुसार दिनांक 10.05.2013 को 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल रूपये 73,974/- अंकित किया गया है तथा 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल रूपये 18,32,363/- का अंकित किया गया है। इस प्रकार 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल में अन्तर रूपये 1,13,812/- तथा 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल का अन्तर रूपये 1,70,718/- का अंकित किया गया है। अर्थात् कुल रूपये 2,84,530/- का माल भौतिक सत्यापन पर दिनांक 10.05.2013 को व्यापार खाते में दर्शाये गये स्टॉक से अधिक होना पाया जाना माना गया। इसी के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश पारित किया गया है।

10. आयुक्त वाणिज्यिक कर राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.3(म)/ज्यूरिस/कर/आयुक्त/97/536 दिनांक 07.08.2009 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 08.07.2009 को राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये परिवर्तित बजट भाषण वर्ष 2009-10 के पैरा संख्या 245 में यह घोषणा की गयी है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त "Prosecutor should not be a Judge" को ध्यान में रखते हुए जिस अधिकारी द्वारा करापवंचन का अभियोग बनाया जायेगा, उसका निर्णय अन्य अधिकारी द्वारा किये जाने की व्यवस्था की जा रही है, की अनुपालना में विक्रय कर, मूल्य परिवर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर, विद्युत शुल्क, मनोरंजन कर एवं विलासिता कर,



लगातार.....6

आदि समस्त अधिनियमों के तहत कर अपवंचन अभियोगों का निस्तारण अभियोग दर्ज करने वाले अधिकारी से न करवा कर अन्य अधिकारियों से करवाने हेतु निम्न प्रकार दिशा निर्देश प्रचलित किये गये।

11. अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर सर्वेक्षण के समय भौतिक सत्यापन पर पाये गये माल का मूल्यांकन के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपने उत्तर में ली गई प्रमुख आपत्ति की माल का मूल्यांकन खरीद दर पर नहीं किया जाकर बाजार दर पर किया गया है जो दोषपूर्ण है। इस तथ्य को उन्होंने दस्तावेजी सबूतों से प्रमाणित किया है जिसमें स्टॉक सूची गोदाम संख्या 1 दुकान के ऊपर में प्रथम 4 मद नमूने के तौर पर सत्यापित की गई। इस पर पाया गया की क्रम संख्या 1 पर स्टेडिंग फेन 31 नग संख्या 9 रेट प्रति नग रूपये 1,662/- तथा कुल कीमत रूपये 14,958/- अंकित की गई है, इसके सत्यापन के लिये विक्रेता मैसर्स वसुंधरा इन्टरनेशनल का वैट इनवोइस संख्या 13138 दिनांक 31.03.2013 में क्रम संख्या 1 पर प्रोडक्शन कोड 160819 माल 400 एमएम स्टैण्ड-31 मात्रा 10 रेट रूपये 1,566/- अंकित की गई है। इसी प्रकार वाल फेन टोराडों नग संख्या 4 की रेट रूपये 3,040/- प्रति नगर अंकित की गई है जबकि खरीद बिल संख्या 12785 में प्रति नग दर रूपये 2,619/- है। क्रम संख्या 3 पर वेन्टिलेटर 200 एमएम की रेट प्रति नग रूपये 855/- ली गई है जबकि खरीद वैट इनवोइस संख्या 121 दिनांक 02.04.2013 में दर प्रति नग रूपये 833/- है। क्रम संख्या 4 पर वाल फेन की रेट प्रति नग रूपये 1,482/- ली गई है जबकि खरीद वैट इनवोइस संख्या 168 दिनांक 02.04.2013 में रेट प्रति नग रूपये 1,437/- है। इस प्रकार यह साबित होता है की जांच अधिकारी ने स्टॉक के मूल्यांकन के लिए बाजार दर को आधार बनाया है न कि खरीद मूल्य को। इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय है कि जांच अधिकारी ने माल मूल्यांकन प्रतिवेदन पत्रावली के पृष्ठ संख्या 6 पर उपलब्ध है, में माल के मूल्यांकन में पहले प्रचलित बाजार दर लिखा है जिसे बाद में काटकर खरीद दर किया हुआ है तथा खुद के लघु हस्ताक्षर किये हुए है। जांच अधिकारी की काट-छांट उनकी दोषी मानसिकता को प्रदर्शित करती है।


12. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम जे. के. रेडीमेड सेंटर (1994) 93 एस.टी.सी. 314 (राज.) में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 22(6), जो कि वैट अधिनियम की धारा 75 के सदृश है, से सम्बन्धित प्रकरण में निम्न व्यवस्था दी गयी है -

"S. 22(6), of Rajasthan Sales Tax Act, 1954; R. 58, of Rajasthan Sales Tax Rules 1955 - Penalty - It is the duty of the officer who prepared the list and survey report to provide the copy at the spot so that no allegation of any change therein is made by the dealer at any point of time and, thereafter when the said list, statement and report are to be used against the dealer it is incumbent upon the assessing authority to himself provide copy thereof. In absence thereof, Penalty is not jnustified."

13. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित कर व शास्ति पूर्णतया अविधिक हैं। आयुक्त वाणिज्यिक कर राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(म)/ज्यूरिस/कर/आयुक्त/97/536 दिनांक 07.08.2009 का स्पष्ट आशय है कि कर निर्धारण/शास्ति आदेश पारित करने वाला अधिकारी अपने स्वयं के विधिक ज्ञान एवं मस्तिष्क का उपयोग करते हुए, स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष आदेश पारित करेगा। हस्तगत प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को यथावत स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर ना तो किसी प्रकार की जांच की गयी है एवं ना ही विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है, जिसे विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं माना जा सकता। सक्षम अधिकारी ने कर आरोपित किया है यह उनके विधिक ज्ञान की न्यूनता को दर्शाता है क्योंकि अधिनियम के प्रावधान उन्हें शास्ति आदेश पारित करने के स्टेज पर कर आरोपण की अनुमति नहीं देते है। अनुमानित सकल लाभ में कमी/वृद्धि होने पर उसका सीधा असर माल के क्लॉजिंग स्टॉक पर पड़ता है। समस्त प्रकरण में अनुमान के आधार पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है जो अविधिक है। भौतिक सत्यापन पर पाये गये माल का मूल्यांकन दोषपूर्ण है, दोनों निम्नतर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश अविधिक हैं तथा अपास्त किये जाने योग्य हैं।

14. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26.02.2014 एवं सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 05.06.2013 अपास्त किये जाते हैं।

15. निर्णय सुनाया गया।

  
28/09/2016  
(मनोहर पुरी)  
सदस्य